अपराधीकरण

क्रिया नेतृत्व क्षमता विकसित करती है, महिलाओं के मानव अधिकार को आगे बढ़ाती है और सभी लोगों के यौनिक और प्रजनन स्वतंत्रता पर कार्य करती है।

यह प्रकाशन क्रिया के "काउंट मी इन! इट्स माई बॉडी" प्रोग्राम के लिए बनाया गया है। इस प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य है खेल कूद के ज़रिए किशोरियों को यौन और प्रजनन स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देना और उनकी समझ बढ़ाना ताकि वे अपने शरीर, स्वास्थ्य और जीवन से जुड़े सभी निर्णय खुद ले सकें। यह प्रोग्राम क्रिया अपने सहभागी संस्थाओं के साथ मिल कर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में चला रही है।

अपराधीकरण

हमारा पांचवा प्राइमर अपराधीकरण के बारे में है। जेन्डर और यौनिकता के संबंध में, अपराधीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कुछ व्यवहारों और व्यक्तियों को अपराधी ठहराया जाता है। लेकिन यह एक ऐसा मुद्दा है, जिसके बारे में काफी कम चर्चा हुई है। यौनिकता पर बातचीत में यह समझना काफी महत्वपूर्ण हो सकता है कि किन लोगों, समुदायों को समाज और कानून, उनकी यौनिकता और जेन्डर की वजह से अपराधी बना देता है।

अपराधीकरण क्या है?

अपराधीकरण का मतलब है कुछ बर्तावों को, कुछ लोगों को, कुछ समुदायों को 'गलत', 'बुरा' और 'गैर कानूनी' करार दे दिया जाना। हम यहाँ उन लोगों की बात कर रहे हैं जिनको उनके जेंडर, यौनिकता, अपने जीवन के लिए वे जो चुनाव वे करते हैं, उनकी वजह से 'गैरकानूनी' करार दे दिया जाता है। हमें लग सकता है की किसी को अपराधी ठहराना तो कानून का काम है। लेकिन सच यह है की समाज कुछ लोगों को अपराधी का नाम दे देता है। समाज कुछ लोगों को जिस नज़रिए से देखता है, वह नज़रिया किसी अपराधी को देखने का ही है।

अपराधीकरण क्यों?

यहाँ पर हम जेंडर और यौनिकता की वजह से लोगों को अपराधी करार दिए जाने के बारे में बात कर रहे हैं। यौनिकता एक ऐसा मुद्दा है, जिसके बारे में हम बिलकुल बात नहीं करते हैं। यौनिकता से जुड़े हुए कायदे, मूल्य, नैतिकता, विचार और व्यवहार के बारे में हम शायद ही कभी चर्चा करते हैं। यौनिकता एक ऐसा क्षेत्र है जिसपर ज़्यादातर चुप्पी ही दिखती है। इस के बारे में बात करना जैसे कुछ गलत करना है। इस चुप्पी पर सवाल उठाना और इस चुप्पी को तोडना बहुत ज़रूरी है। यौनिकता के बारे में कुछ बहुत ही कड़े कायदे हैं। लेकिन हम इन कायदों पर कभी चर्चा नहीं करते हैं, हम बस उन्हें

मान लेते हैं। जो भी इन कायदों पर सवाल उठता है, उनको चुनौती देता है, इन कायदों के बाहर जाता है, वह 'अलग' समझा जाता है। यह अलग लोग कई प्रकार से यह कायदे तोड़ सकते हैं– अगर कोई लड़का लड़कियों के कपड़े पहनना पसंद करता हो, अगर कोई लड़की अपने मन से शादी करना चाहती हो, अगर कोई इंसान शादी करना ही नहीं चाहे। ऐसे कई लोगों को समाज एक अपराधी की तरह देखता है। इसे 'गलत', 'अनैतिक', 'ख़राब', 'घिनौना' माना जाता है। और यह सभी नाम सिर्फ समाज ही नहीं, बल्कि आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और कानूनी व्यवस्था भी इन लोगों को देती हैं। यह पसंद आपराधिक बना दी जाती है। इन कायदों को नहीं मानने का यह चुनाव आपराधिक बना दिया जाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता की यह कायदे अन्यायपूर्ण, गलत और अत्याचारी हैं।

अपराधी कौन है?

यौनिकता के बारे में जिस तरह की कट्टर समझ है, उसकी वजह से कुछ लोगों, समुदायों और पहचानों को अपनी ज़िन्दगी समाज के कगार पर, समाज के बाहर बितानी पड़ती है। अगर हम गौर से देखें, तो हम पाएंगे कि यौनिक अधिकारों के अन्तर्गत, बिलकुल वही लोग, समुदाय और बर्ताव 'अपराधी' माने जाते हैं, जो समाज में पहले से दरकिनार हैं। चाहे वे समलैंगिक लोग हों, चाहे ट्रांसजेंडर लोग, चाहे बात यौनिकता शिक्षा की हो, चाहे यौन कर्मियों की। वही लोग जो समाज में बुरे माने जाते हैं, कानून के अन्दर भी अपराधी समझे जाते हैं।

अपराधीकरण का प्रभाव क्या होता है?

कायदों से अलग होने का चयन अपराध माना जाता है, इसके कई परिणाम उन लोगों को भुगतने पड़ते हैं जो कायदों की रेखा पार करते हैं। इन समाज की कगार पर रह रहे लोगों को कई तरह की गंभीर परेशानियों से जूझना पड़ता है।

इनमें से कुछ हैं – परिवार का साथ छूटना, समाज की तरफ से सिर्फ ज़िल्लत और नफरत मिलना, अपनी ज़िन्दगी के ज़रूरी सच सबसे छुपा कर रखना, कानून और राज्य की व्यवस्था, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, काम काज, की तरफ से कोई सहायता न मिलना। यह सभी

मानव अधिकार का उल्लंघन करते हैं। हर व्यक्ति को मानव अधिकार प्राप्त हैं, जिनका सम्मान होना चाहिए।

अगर हम अपराधीकरण को सिर्फ राष्ट्रीय कानून से न जोड़ें, तो हम पाएंगे की क्षेत्रीय और गाँव के स्तर पर गाँव की पंचायत और खाप पंचायतें, यौनिकता के मुद्दों पर अपने खुद के कानून बनाती हैं, और यौनिकता की कुछ अभिव्यक्तियों को आपराधिक बना देती हैं।

पिछले कुछ सालों में खाप पंचायत के ऐसे निर्णयों को बढ़ते पाया है। देखा गया है कि अगर कोई लड़का और लड़की अपनी पसंद से, अपने जात से बाहर या गोत्र के अन्दर शादी करते हैं, कई खाप पंचायतों नें लड़का लड़की को अलग करने के, उन्हें गाँव, क़स्बा छोड़ कर जाने के, और यहाँ तक कि उनके क़त्ल तक के निर्णय

दिए हैं। यह इसके बावजूद की 2011 में देश के सबसे ऊंचे न्यायालय ने खाप पंचायतों को असंवैधानिक बताया है और कहा है की दो वयस्क लोगों को अपनी पसंद से शादी करने की पूरी छूट है।

कौन से कानून यौनिक और प्रजनन अधिकारों का अपराधीकरण करते हैं?

गर्भ समापन भारत में कानूनी है। लेकिन यह दुनिया के हर देश में कानूनी नहीं है, जिसकी वजह से औरतों को अप्रशिक्षित डॉक्टरों से छिपकर गर्भ समापन करवाना पड़ता है और कई हज़ार औरतें हर साल इसकी वजह से अपनी जान गवां देती हैं। यह गर्भ समापन का अपराधीकरण है। जो सेवा हर औरत के प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ा अधिकार होना चाहिए, कुछ देशों में उसी को पाना अपराध बनाया गया है। कुछ कानूनों की नज़र में कुछ पहचानों पर सवाल हैं– जैसे समलैंगिक और ट्रांसजेंडर लोग। यौन कर्मियों को कई तरह से अपराधी के तौर पर देखा जाता है, क्योंकि समाज में इसे बहुत ही बुरा पेशा माना जाता है।

गैर अपराधीकरण: आगे का रास्ता?

दुनिया भर में कई मानव अधिकार सम्बन्धी समूह हैं, जो कई 'अपराधी' समझे जाने वाले लोगों, व्यवहारों और पहचानों को गैर अपराधी बनाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह कदम तब लिए जाते हैं जब एक क़ानून की मानव अधिकार (और यहाँ यौनिक और प्रजनन अधिकार) के नज़रिए से निंदा की जाती है। इस प्रक्रिया में साबित किया जाता है की निम्न क़ानून कुछ लोगों के मानव, यौनिक और प्रजनन और लोकतान्त्रिक अधिकारों के बीच अड़चन है। गैर अपराधीकरण के यह संघर्ष चाहते हैं की कानून, अपने शरीर पर अपना अधिकार और व्यक्तिगत चुनाव के अधिकार को पहचान और मान दें। इस प्रक्रिया

का उद्देश्य है की क़ानून सभी नागरिकों के अधिकारों को ध्यान में रखकर, संवैधानिक तरीके से बनें, न कि यौनिकता के मुद्दों पर कुछ गुटों की व्यक्तिगत नैतिकता को ध्यान में रखकर।

सहयोगी संस्थाएं

महिला मंडल

कार्यालय, ग्राम, पोस्ट, इटखोरी, ज़िला चतरा, पिन – 825408 झारखंड

लोक प्रेरणा केन्द्र

पी टी सी चौक, लालकोठी, भटवारी, ज़िला हज़ारीबाग, पिन – 825301, झारखंड

प्रेरणा भारती

पथरचपटी मधुपुर ज़िला देवघर, पिन – 815353, झारखंड

सिंहभूमि ग्रामीण उन्नयन महिला समिति

ग्राम झरिया वाया चाकुलिया ज़िला पूर्वी सिंहभूम पिन – 832301, झारखंड

आंकाक्षा सेवा सदन

गावं मैदापुर चौबे, पोस्ट खरूना, ज़िला मुज़्ज़फरपुर, पिन – 843113, बिहार

नारी निधि

202 वैधनाथ पेलेस द्वितीय तल ए जगदेव पथ वैली रोड पटना, पिन – 800014, बिहार

सर्वो प्रयास संस्थान

शंकर चौक वार्ड न0 6 मधुवनी पिन – 827211, बिहार

ग्रामोन्नती संस्थान

सुभाश चौकी के पास, लघांनपुरा, महोबा – 210427, उत्तर प्रदेश

वीरांगना महिला विकास संस्थान

132, गुसाईपुरा, झांसी, पिन – 284002, उत्तर प्रदेश

आग़ाज़-ए-इन्साफ

एम– 2, 214, सेक्टर आई ,जानकीपुरम्, लखनऊ, पिन – 226021, उत्तर प्रदेश

यह प्रकाशन फोर्ड फाउंडेशन की सहायता से तैयार किया गया है।

निशुल्क कॉपियाँ मंगवाने के लिए, संपर्क करें:

क्रिया

7 बी जंगपुरा, नई दिल्ली 110014
फोनः +91-11-24377707 / 24378700, इमेलः crea@creaworld.org
वेबसाइटः www.creaworld.org

crea